

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :- प.10(698) परि/पी.डी./सर्वोच्च न्या./2015/पार्ट 19263

जयपुर, दिनांक :- 29-5-15

कार्यालय आदेश 16...../2015

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 295/2012 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 295/2012 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 के अन्तर्गत जारी निर्देशों में से कतिपय निर्देश मोटर वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 के तहत परिवहन यानों द्वारा यांत्रिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के वे प्रावधान जो मोटर यानों के निर्माण, उपकरण इत्यादि से संबंधित हैं की अनुपालना में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 के अन्तर्गत फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय कुछ बिन्दुओं की जांच की जानी अपेक्षित है। परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं की पालना नहीं की जा रही है जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में निम्न निर्देश दिए जाते हैं :-

1. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 104 में रात्रि कालीन परिवहन को सुदृश्य (visible) बनाने हेतु परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाइन के रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की अनिवार्यता की गई है। प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय वाहनों का संचालन रिफ्लेक्टिव टेप के बिना किया जा रहा है जो सड़क दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन जिलों में संचालित समस्त वाहनों में प्रावधानानुसार अधिकृत निर्माताओं द्वारा निर्धारित मानकों (ए.आई.एस. 090) के अनुरूप रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही वाहन पंजीयन हस्तांतरण/पुनः पंजीयन/ फिटनेस हेतु वाहन के कार्यालय में निरीक्षण के समय उक्त टेप लगवाना सुनिश्चित करें। चैकिंग के दौरान संबंधित प्रावधानों एवं मानकों की पालना नहीं करने वाले वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावे। इस संबंध में पूर्व में

विस्तृत निर्देश कार्यालय के आदेश संख्या 3/2013 तथा 19/2014 द्वारा भी जारी किये जा चुके हैं।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 में वाहनों में सुरक्षा की दृष्टि से रियर अन्डर रन प्रोटेक्टिंग डिवाइस एवं लेटरल प्रोटेक्शन साईड लगाने का प्रावधान है। वाहन निर्माता द्वारा बॉडी सहित बेचे जाने वाले वाहनों में उक्त डिवाइस वाहन के विक्रय के समय फिट कर वाहन विक्रेता को वाहन डिलीवर किया जाता है परन्तु ऐसे वाहन जो निर्माता द्वारा चैसिस के रूप में विक्रय किए जाते हैं तथा तत्पश्चात् बॉडी बिल्डर द्वारा इन वाहनों पर बॉडी का निर्माण किया जाता है, उन वाहनों में ये प्रोटेक्टिव डिवाइस वाहन की लागत को कम करने के उद्देश्य से नहीं लगाए जाते हैं, जो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर अनियमितता है। इन प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के अभाव में दुर्घटना के समय हल्के मोटर वाहन विशेषकर कार इत्यादि में अगली सीट पर यात्रा कर रहे व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु/गंभीर रूप से घायल होने की अत्यधिक संभावना बन जाती है। अतः निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 की पालना में फिटनेस एवं वाहन के पंजीयन के समय M2, M3, N2, N3, T3, T4 श्रेणी के वाहनों पर BIS द्वारा निर्धारित मानकों (IS:14812-2005 एवं IS:14682-2004 समय समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा होना सुनिश्चित किया जावे एवं इसके अभाव में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावे एवं नये वाहनों का पंजीयन भी नहीं किया जावे।
3. भार वाहनों का जी.वी.डब्ल्यू वाहन में प्रयुक्त एक्सल/टायरों की संख्या पर आधारित है। प्रायः देखा गया है कि वाहन पंजीयन के समय एक्सल्स की संख्या के आधार पर पंजीयन अधिकारी द्वारा GVW निर्धारण के पश्चात् कई वाहन स्वामी भार वाहनों का वास्तविक उपयोग वाहन के निर्धारित एक्सल की संख्या में कमी कर वाहन का संचालन करते हैं जो नियम विरुद्ध है। ऐसे वाहनों की फिटनेस के समय भी समुचित जांच नहीं की जाती है। अतः निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के वाहनों की चैकिंग के दौरान सख्ती से जांच की जावे एवं फिटनेस जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वाहन के एक्सल/टायरों की संख्या वाहन के पंजीयन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज एक्सल/टायरों की संख्या समान है अथवा नहीं। पंजीयन प्रमाण पत्र में वर्णित एवं वास्तव में लगे हुए एक्सल/टायरों की संख्या में अंतर होने पर ऐसे वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावे।

उपरोक्त आदेशों की प्रति आपके क्षेत्राधीन संचालित अधिकृत फिटनेस जांच केन्द्रों को भी दी जाकर प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रावधानों की

पालना नहीं करने वाले फिटनेस सेन्टर्स के विरुद्ध उनके प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।

उपरोक्त क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय से विशिष्ट जांच दल गठित किए जाकर समय-समय पर आकस्मिक जांच कराई जाएगी। इन जांच दलों द्वारा किसी वाहन में ऊपर वर्णित निर्देशों की पालना का अभाव पाया जाता है तो उत्तरदायी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुख्यालय स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।


(गायत्री रावैड)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक :- प.10(698) परि/पी.डी./सर्वोच्च न्या./2015/पार्ट 9264-68 जयपुर, दिनांक :- 29-5-15
प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव
2. समस्त अधिकारीगण परिवहन मुख्यालय
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (ज़ोन)
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु।


अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)